झारखंड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

अधि०सं० -2776- रॉंची, दिनांक:– 24/04/17

राज्य में बढ़ती जनसंख्या, जमीन तथा मकानों की कीमतों और मकान किराये में हो रही बेतहाशा वृद्धि एवं मुख्य रूप से कमजोर आय वर्ग, निम्न आय वर्ग वाले आवासविहीन व मलिन तथा अनधिकृत बस्तियों में निवासित परिवारों को आवास उपलब्ध कराने हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग के संकल्प ज्ञापांक–2135 दिनांक–18.04.2016 के द्वारा **"झारखण्ड किफायती शहरी आवास नीति–2016"** निर्गत किया गया है।

2. उक्त "झारखण्ड किफायती शहरी आवास नीति–2016" की कंडिका सं०–5.11 की उप कंडिका सं०–5.11.5 इस प्रकार है :–

   i) All India Service officers, who have been allotted Jharkhand Cadre
   ii) Members of higher and subordinate judiciary
   iii) MPs/MLAs
   iv) State Government employees
   v) Personnel of Defence services

3. याचिका संख्या–W.P.(PIL) No.-385/2010 में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक–20.04.2016 को पारित न्यायादेश के आलोक में "झारखण्ड किफायती शहरी आवास नीति–2016" की कंडिका–5.11.5 के उप कंडिका–(v) के बाद उप कंडिका–(vi) को निम्न प्रकार से अन्तःस्थापित किया जाता है :–

   vi) **Lawyers Housing Cooperative Society**

4. उक्त कंडिका सं०– 5.11.5 को स्पष्ट करते हुए उप कंडिका–(i) से (vi) में वर्णित कॉपरेटिव हाउसिंग सोसायटी (Cooperative Housing Societies) के सभी वर्ग एक समान समझे जायेंगे।

5. संकल्प ज्ञापांक–2135 दिनांक–18.04.2016 के द्वारा निर्गत "झारखण्ड किफायती शहरी आवास नीति– 2016" की अन्य कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी।

6. झारखण्ड राज्य के शहरी स्थानीय निकाय हेतु "झारखण्ड किफायती शहरी आवास नीति–2016" में उपरोक्त संशोधन पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश दिया जाता है कि संकल्प को झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रतियाँ महालेखाकार (ले० एवं ह०), झारखण्ड, रॉंची/सभी विभाग/विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

22.4.17

(अरुण कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः–07/विविधि नीति–05/16 2776 /राँची, दिनांकः– 24/04/17

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन को प्रेषित/नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि अधिसूचना की 100 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराया जाए।

24.4.17

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः–07/विविधि नीति–05/16 2776 /राँची, दिनांकः– 24/04/17

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

24.4.17

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः–07/विविधि नीति–05/16 2776 /राँची, दिनांकः– 24/04/17

प्रतिलिपिः–माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के आप्त सचिव, राँची/विशेष कार्य पदाधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, राँची सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24.4.17

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः–07/विविधि नीति–05/16 2776 /राँची, दिनांकः– 24/04/17

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची/अपर सचिव/सभी संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

श्री कुणाल, विशेषज्ञ, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय Website पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24.4.17

सरकार के प्रधान सचिव।